आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –57 / 2022
रूदल साह
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
23.01.2023	यह पुनरीक्षण वाद माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना में सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 21358 / 2018 रूदल साह बनाम राज्य सरकार व अन्य में दिनांक 10.02.2022 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, सीतामढ़ी द्वारा आपूर्ति अपील वाद संख्या 158 / 2017 में दिनांक 25.09.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है । माननीय उच्च न्यायालय का समादेश निम्न है– **"In case the petitioner files representation/revision before the concerned Divisional Commissioner within four weeks from today, the same shall be considered on merits and disposed of within a period of eight weeks thereafter."** पुनरीक्षणकर्ता पर मुख्य आरोप माह जुलाई 2016 एवं अगस्त 2016 के अनाज का उठाव कर उपभोक्ताओं के बीच वितरण न करके फर्जी ढ़ग से वितरण पंजी खोलना तथा उसमे लाभुको का नाम /अंगुठा का निशान बनाकर वितरण पंजी को संधारित करने का है। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार जन वितरण प्रणाली विक्रेता ने माह जुलाई 2016 एवं अगस्त 2016 के खाद्यान्न का आपूर्ति कर दिय था। कुछ उपभोक्ता जो खाद्यान्न का उठाव नहीं किये थे उन्हें जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा खाद्यान्न प्राप्ति हेतु बारबार	

WEB COPY NOT OFFICIAL

सूचना देने के बाद भी राजनीतिक लोगों के बहकावे में आकर और उनके विरूद्ध कार्रवाई करने के नियत से उनके व्यापार स्थल पर नहीं आए उनके दावा है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, रून्नीसैदपुर ने व्यापार स्थल का जाँच किये बगैर अन्यत जगह पर कुछ लोगों से बातचीत कर एक सादे कागज पर निशान व हस्ताक्षर लेकर चले गये। किसी भी उपभोक्ता द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरूद्ध अनियमितता बरतने का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। फिर भी अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञप्ति पदाधिकारी ने जन वितरण प्रणाली विक्रेता के अनुज्ञप्ति को अपने ज्ञापांक 455/आ0 दिनांक 30.11.2016 से रद्द कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध विक्रेता ने समाहर्त्ता न्यायालय सीतामढ़ी में वाद संख्या 158/2017 दायर किया समाहर्त्ता न्यायालय ने भी विक्रेता के द्वारा अपने अपील आवेदन में उठाये गये तथ्यों पर विचार किये बगैर विक्रेता के अपील आवेदन को खारिज कर दिया, जो विधिसम्मत नहीं है एवं विखंडित होने योग्य है। अंत में सुनवाई के दौरान पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिकवक्ता ने निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया।

पुनरीक्षणकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पुनरीक्षणकर्ता की दुकान से संबंध उपभोक्ताओं से मिली शिकायत के आधार पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड आपुर्ति पदाधिकारी रून्नीसैदपुर से उनके दुकान की जाँच कराई गई। जाँच की तिथि दिनांक 27.10.2016 तक विक्रेता द्वारा माह जुलाई 2016 एवं अगस्त 2016 के खाद्यान्न का उठाव कर उसका वितरण नहीं करने के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड आपुर्ति पदाधिकारी रून्नीसैदपुर के पत्रांक 3862 दिनांक 24.11.2016 द्वारा प्रतिवेदित अनियमितता हेतु विक्रेता से 3 दिनों के अंदर साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण की मांग की गई। विक्रेता द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत

WEB COPY NOT OFFICIAL

भंडार एवं वितरण पंजी की जाँच की गई जिसमें माह जुलाई 2016 एवं अगस्त 2016 के खाद्यान्न के आपूर्ति के संबंध में उपभोक्तओं के राशन कार्ड पर कोई प्रवृष्टि नहीं थी परंतु विक्रेता के माह जुलाई 2016 के वितरण पंजी की जाँच करने पर पाया गया की वितरण पंजी नियमानुसार प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, रून्नीसैदपुर द्वारा सत्यापित नही थी। उक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अनूज्ञप्ति पदाधिकारी सीतामढ़ी सदर द्वारा अपने आदेश ज्ञापांक 455 दिनांक 30.11.2016 से पुनरीक्षणकर्ता के अनुज्ञप्ति को रदद् कर दिया गया। जिसके विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता ने समाहर्त्ता न्यायालय में आपूर्ति अपील वाद संख्या 158/2017 दायर किया। मामला समाहर्त्ता न्यायालय में विचाराधीन ही था कि पुनरीक्षणकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी0डब्लु0जे0सी0 सं0 11420/2018 दायर किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना ने अपने आदेश दिनांक 12.07.2018 को निम्न आदेश दिया– "Having regard to the nature of the prayer of the petitioner , the writ petition is disposed of with a direction to the Collector, Sitamarhi (Respondent no-2) to consider and disposed of Supply Appeal case no 158 of 2017, if still pending, on its own merit and in accordance with law after grant of opportunity of hearing to the petitioner, expeditiously and preferably within a period of three months from the date of receipt/production of a copy of a this Judgement"

उक्त के आलोक में समाहर्ता सीतामढ़ी ने पुनरीक्षणकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपने मुखर आदेश से पुनरीक्षणकर्ता के अपील आवेदन को खारिज कर दिया उक्त अपील के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी0डब्लु0जे0सी0 सं0 21358/2018 दायर किया जिसमें दिनांक

WEB COPY NOT OFFICIAL

10.02.2022 को पारित आदेश के आलोक में यह वाद इस न्यायालय में दायर है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय ने सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपना आदेश पारित किया है।

उल्लेखनीय है कि विक्रेता द्वारा दो माह के खाद्यान्न का उठाव कर उपभोक्ताओं के बीच वितरण नहीं करना, वितरण पंजी को नियानुसार प्रखण्ड आपुर्ति पदाधिकारी से सत्यापीत नहीं कराना, वितरण पंजी में कुछ उपभोक्ताओं के खाद्यान्न के आपूर्ति को दर्शाना जबकी राशन कार्ड में प्रविष्टि नहीं करना उनके द्वारा कालाबाजारी किये जाने के आरोप को परिलक्षित करता है। विक्रेता का यह कृत्य बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 14 का उल्लंघन एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–13 में दिये गये निर्देशों के उल्लंघन को भी परिलक्षित करता है। उपर्युक्त स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के अनुज्ञप्ति को रद्द करने एवं जिला पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति पदाधिकारी के पारित आदेश को सम्पुष्ट किये जाने के दिए गए आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय के पारित आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL